

#/325

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(सीडीसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -

कपासन)

धारा अन्तर्गत - 136

क्र.सं. 1045

दायर दिनांक 09/10/25

निर्णय दिनांक 09/10/25

रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-श्रम	ज्ञान	महोदय जी, निवेदन है कि मुलायिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	हमरा	90	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.स.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम - <u>हमरा</u> प.ह. <u>हमरा</u> खालास ..... में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर-पटवारी	हस्ताक्षर-मिस्टर	
			हस्ताक्षर-पटवारी	हस्ताक्षर-मोहर तहसीलदार	

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (भू.स.)

तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सीडीसीन शिविर-2025

